विज्ञप्ति

केंद्रीय विक्रीकार (उत्तराखंड) नियमावली—2006 के नियम—8 के उपनियम—13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखंड निम्नलिखित सूची में निम्नलिखित “फार्म—सी” जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बंध में सुचना प्राप्त हुई है, को सर्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र/ सं</th>
<th>व्यापारी का नाम व पता</th>
<th>खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या</th>
<th>खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म की सीरीज़/कर्दम कोड</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>सर्वश्री यूनाइटेड ऑटो गैरेज, हरिद्वार। (Form-C)—03</td>
<td>U.K.VAT/C-2007—112234, 112235, 200655</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित।

1. कमिश्नर कर/वाणिज्य कर, आच्छादन—हैदराबाद/तमिलनाडु—चेन्नई/कर्नाटक—बैंगलौर/महाराष्ट्र—मुंबई/गुजरात—अहमदाबाद/राजस्थान—जयपुर/आंध्रप्रदेश—चेन्नई/पंजाब—चंडीगढ़/हिमालयप्रदेश—केन्द्र/आसाम—मेघालय/सिकिम—गिटोक/संग्राम—दक्षिण कोलकाता/राजस्थान—जयपुर/उत्तराखंड—दिल्ली/राजस्थान—जयपुर/उत्तराखंड—दिल्ली/राजस्थान—जयपुर/उत्तराखंड—दिल्ली/राजस्थान—जयपुर।

2. कंपनी को आशय से प्रेरित कि इस ग्रंथ में प्रकाशित करते हुए इसकी 50 प्रतिश्र व्यापारी कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखंड, मोहाली मसूरी बाईपास रोड, देहरादून का प्राप्त करने का काम करें।

3. एडिशनल कमिश्नर, कानपुर दराज, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रुद्रपूर।

4. एडिशनल कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमाऊँजोन रुद्रपूर।

5. अनुरोध कमिश्नर (कार्यालय)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/कृषीपुर/हजैली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधिकारों के अंतर्गत कर निर्दिष्ट अधिकारियों का उक्त के सम्बंध में सूचित करें।

6. श्री अनुरोध मिश्रा क्षितिज कमिश्नर(कानपुर)—6 वाणिज्य कर, देहरादून/ web. information officer NIC को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखंड।